राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.2(6) न्याय/2018 जयपुर, दिनांकः 18.05.2020

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.08.2018 की निरन्तरता में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005(2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, के परामर्श से राजस्थान राज्य में स्थित समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को अपने अपने न्यायक्षेत्र की सीमाओं के लिए बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रकरणों को छोड़कर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बाल न्यायालय के रूप में सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा एवं वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित किये गये प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

18.5.2020

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त जिला।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी सहित्)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

18.5.2020

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव